



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562224953, 8987790232

पत्रांक :- 335

प्रेषक,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक :- 5/7/2024

विषय :- बनहरदी कोल ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।
प्रसंग :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक-746 दिनांक-06.06.2024
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में भवदीय को सूचित करना है कि लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार के प्रशासनिक क्षेत्राधीन बनहरदी कोल ब्लॉक हेतु कुल-515.32 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव, प्रस्ताव संख्या-FP/JH/MIN/147316/2021 परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन समर्पित किया गया है, जिसकी 07 (सात) भौतिक प्रतियाँ इस कार्यालय को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के मंतव्य के साथ प्राप्त हुआ है। विषयक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(1) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत अवस्थित है। इस परियोजनान्तर्गत कुल- 515.32 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है, जिसका वैधानिक स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वन भूमि की वैधानिक स्थिति		कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आच्छादित वन भूमि पर अवस्थित वन का वनस्पति का घनत्व
			अधिसूचित वन भूमि (हेक्टेयर में)	जंगल-झाड़ भूमि (हेक्टेयर में)		
1.	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	497.02	18.30	515.32	0.5 से 0.6

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र Form-A (Part-I) में वांछित सूचनाएँ/अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियाँ इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र Part-II में वांछित सूचनाएँ/अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियाँ इस प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

(4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा विषयक प्रस्ताव को स्थल निरीक्षणोपरान्त सशर्त अनुशंसित की गई, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र Part-II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसित प्रतिवेदन कंडिका में प्रविष्ट है।

(5) निर्धारित Part-III में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य अंकित है तथा इसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के अनुशंसा एवं लगाई गई शर्तों से सहमत हैं तथा इसका उल्लेख अधोहस्ताक्षरी द्वारा Part-III के recommendation section में प्रविष्ट की गई।

(6) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विहित प्रपत्र Part-III में अंकित recommendation पर संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त है।

(7) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा संलग्न अभिलेखों का विवरणी निम्नानुसार है :-

(क) आवेदक सुबोधन जोन पुर्ती, Senior Manager के पक्ष में बनहरदी कोल माईनिंग प्रोजेक्ट, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा Authorisation पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ख) टोपो शीट मानचित्र जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ग) राजस्व विभाग के मौजा मानचित्र, जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(घ) विषयक वन भूमि के अपयोजन का औचित्य से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ङ) DGPS सर्वे के आधार पर परियोजना स्थल का Geo-referenced map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(च) प्रस्ताव में आच्छादित होने वाले वन भूमि पर अवस्थित पेड़ों की संख्या-114229 है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(छ) विषयक प्रस्ताव में 18.30 हेक्टेयर जंगल-झाड़ी भूमि भी सन्निहित है तथा यह भूमि राजस्व विभाग के नियंत्राधीन है, इसके संदर्भ में आयुक्त, पलामू का पत्रांक-236 दिनांक-02.05.2024 द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत है, जो इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ज) विषयक प्रस्ताव में आच्छादित होने वाले कुल-515.32 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत और/या सामुदायिक दावा के संदर्भ में बचनवद्धता समर्पित की गई है।

(झ) विषयक परियोजना में आच्छादित होने वाले वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

(ज) विषयक परियोजना स्थल किसी संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

(ट) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Compensatory Afforestation, Net Present Value, Wildlife mitigation plan इत्यादि हेतु देय राशि जमा करने के संदर्भ में बचनवद्धता समर्पित की गई है।

(ठ) विषयक परियोजना हेतु चिन्हित Compensatory Afforestation भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

क्रमांक	जिला	वन प्रमण्डल का नाम	राजस्व थाना/थाना संख्या	मौजा का नाम	Gross रकबा (हे० में)	शुद्ध रकबा (हे० में)
1.	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	मनिका / 174	नदबेलवा	89.40	50.00
2.			मनिका / 169	पालहेया	72.00	50.00
3.			मनिका / 90	जमुना	78.70	50.00
4.			मनिका / 90	जमुना	77.50	50.00
5.			बालूमाथ / 230	केरी	56.80	50.00
6.			बालूमाथ / 230	केरी	54.40	50.00
7.			बालूमाथ / 230	केरी	56.00	50.00
8.			बालूमाथ / 231	भगेया	63.38	50.00
9.			बालूमाथ / 89	डेम्बू	66.90	50.00
10.			बालूमाथ / 214	ग्रेन्जा	62.50	50.00
11.			बालूमाथ / 83	दरहा	52.60	50.00
12.			बालूमाथ / 83	दरहा	53.00	50.00
13.			बालूमाथ / 83	दरहा	52.10	50.00
14.			बालूमाथ / 83	दरहा	52.50	50.00
15.			बालूमाथ / 240	फुलसु	72.00	50.00
16.			बालूमाथ / 223	बिष्णुपुर	61.70	50.00
17.			बालूमाथ / 223	बिष्णुपुर	62.20	50.00
18.			बालूमाथ / 223	बिष्णुपुर	61.90	50.00
19.			बालूमाथ / 79	बरियातु	66.30	50.00
20.			बालूमाथ / 79	बरियातु	68.90	50.00
21.			बालूमाथ / 79	बरियातु	66.60	50.00
22.			बालूमाथ / 79	बरियातु	65.30	50.00
				कुल :-	1412.68	1100.00

उपरोक्त Compensatory Afforestation Land के लिए Land Suitability Encumbrance Certificate, Estimated cost of Compensatory Afforestation इत्यादि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः विषयक परियोजना में आच्छादित होने वाले कुल-515.32 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव की 5 (पाँच) भौतिक प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

आपका विश्वासी

Rmk
5-7-24

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Bunip
5/7/24

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Yes Date of Inspection: 05-07-2024 Inspection note is enclosed.
Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.	I concur with the comments made by the concerned Divisional Forest Officer in the recommendation note.
Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	The recommendation note is enclosed.

Signature



Dileep Kumar Yadav (I.F.S.)
Conservator of Forests,
Territorial Circle, Medininagar

Date: - 5-7-24

Place: - Medininagar

Site Inspection Report for the Forest Diversion Proposal (Proposal No. FP/JH/MIN/147316/2021)

Inspection Conducted by:

Dileep Kumar Yadav (I.F.S.), Conservator of Forests, Medininagar Territorial Circle

Date of Inspection: 05-07-2024

Attendees:

- i. K. Chandra Sekhar, General Manager (Banhardi Coal Mine, PVUNL)
- ii. M. Chandra Segar, Additional General Manager (Banhardi Coal Mine, PVUNL)
- iii. Jibanendu Mohapatra, Deputy General Manager (Banhardi Coal Mine, PVUNL)
- iv. Nand Kumar Mahto, Range Forest Officer, Latehar/Chandwa
- v. Jai Jayendra, Forester In-charge of Area
- vi. Raghvendra, Anil Paswan, Sunil Kachhap, and Ramkishor Pathak, Forest Guards, Latehar Forest Division

Observations/Findings of the Field Inspection:

1. The Banhardi Coal block mining proposal encompasses an area of 1467.42 hectares. Of this, 952.10 hectares are non-forest land, while 515.32 hectares are forest land (497.02 hectares are notified forest land and 18.3 hectares are Jungle Jhari forest land, classified as deemed forest land).
2. The project area spans in 9 villages, namely Banhardi, Bari, Barwadih, Rampur, Surli, Tota, Ate, Jagaldaga & Sabano on forest and non-forest areas of Latehar & Chandwa forest ranges of Latehar Forest Division
3. The proposed block is not located within any protected area as per the Wildlife Protection Act, 1972, nor is it part of any tiger reserves or Eco-Sensitive Zones of any National Parks/Wildlife Sanctuaries.
4. The terrain of the area is undulating and susceptible to soil erosion.
5. Local villagers and forest officials reported that species such as nilgai, barking deer, hyena etc. use the project area and its surroundings as their habitats.
6. Several streams (nalas) traverse through the expanse of the proposed project area and its neighboring environs. These vital waterways serve as a crucial resource for the local wildlife. The advent of mining operations is anticipated to exert a deleterious effect, significantly diminishing the water availability in these streams and thereby adversely impacting the water supply in addition to the habitat loss for the wild animals residing within and around the project vicinity.
7. The land proposed for the project is part of the catchment area of the Auranga River.
8. There are no archaeological or heritage sites present at the project location.
9. The user agency has not initiated any non-forestry activities on the proposed forest land.
10. The additional details are included in the field inspection report of the Divisional Forest Officer, Latehar Forest Division.



Dileep Kumar Yadav (I.F.S.)
Conservator of Forest
Territorial Circle, Medininagar

Reccomendation Note by the Consevator of Forest, Medininagar
Territorial Circle, Palamau for the Forest Diversion Proposal (Proposal
No. FP/JH/MIN/147316/2021)

Based on the facts documented in Part-I by the user Agency, along with the inspection and recommendation notes from the Divisional Forest Officer of Latehar Forest Division, the diversion of 515.32 hectares of forest land for the proposed Banhardi Coal Mining Project in Latehar District is recommended. This recommendation is subject to the fulfilment of the following mitigating and compensating measures, in addition to the payment of the Net Present Value and implementation of Compensatory Afforestation in lieu of forest diversion.

1. The initiation of open-cast mining operations in the region poses a substantial threat to the streams originating from the adjacent hills and forests. These operations could severely compromise the water resources and potentially lead to a water crisis in the future, thereby affecting the fragile ecosystem. Open-cast mining operations undermine the functional capacity of streams and cause irrevocable damage to the riverine ecosystem. Therefore, **a comprehensive Catchment Area Treatment (CAT) Plan is essential to mitigate the adverse impacts of proposed mining.**
2. Prior to initiating mining activities, a specialized agency should undertake a study to assess wildlife and its habitat vulnerability within a 10-kilometer radius of the project area, considering the potential negative impacts of the operations. Based on the study's findings, a **Comprehensive Wildlife Management Plan shall be prepared and implemented at the project's expense to ensure the protection of the area's biodiversity, wildlife, and their habitats.**
3. Fifty percent (50%) of the total Corporate Social Responsibility (CSR) fund specific to this project should be allocated for the development of wildlife and its habitat. This allocation should be carried out under the guidance and supervision of the State Forest Department, represented by the concerned Divisional Forest Officer (DFO).


Dileep Kumar Yadav (I.F.S.)
Conservator of Forest
Territorial Circle, Medininagar